मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2007 (श्रावण 2, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 11 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -25-15-2005 - दस - 2, दिनांक 11 जून, 2007 पटल पर रखेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले की मोटाखोयरा जलाशय परियोजना के डूब प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमचंद गुड्डू , सदस्य, रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र के अनेक ग्रामों की विद्युत लाईन काटे जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम गलमान्या में आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम वर्धा बुजुर्ग में आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम सांईखेड़ा वंजारी मात्रा के पास नदी से कटाव को रोके जाने,

(ख) गाडरवारा से एम.पी. ग्लाईकेम के पास तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम नांदनेर से ग्राम मिढ़वानी तक सड़क बनाये जाने,

-2-

(3) श्री ध्रुव प्रताप सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम देवसरी इंदौर-देवराकलां के बीच कटनी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल जिले के -

(क) शालीमार कैम्पस एवं बावड़िया कला में बिजली,पानी,सड़क की सुविधा उपलब्ध कराये जाने, तथा

(ख) डी.के. गोल्ड परिसर जी-3 गुलमोहर कालोनी की सड़क बनाये जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम फरदुआ के सर्वे क्रमांक-305 का किया गया बन्दोबस्त सही किये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा बांध बहुउद्देशीय परियोजना की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा

(ख) ओरछा पर्यटन स्थल के पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 15 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (2) श्री तुकोजीराव पवार, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक,2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.......(क्रमशः)

प्रदेश में नकली खाद, बीज वितरण से कृषि उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घन्टे 30 मि. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 23 जुलाई, 2007